न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
188/24	16.07.2024	30.07.2025

उनवान

1. असरफी पत्नी जुहरू निवासी दीनार का बास हाल आबाद महरमपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0। :–वादी

बनाम

1. ताहिर पुत्र हनीफ
2. जुबेर पुत्र हनीफ
3. इबरान पुत्र हनीफ
4. इरफान पुत्र हनीफ
5. रसमीना पुत्री हनीफ
6. रसमीना पत्नी जुबेर निवासीयान दीनार का बास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– असल प्रतिवादीगण

8. पूजा विजयरन पुत्री अजीतसिंह
9. पूनम पुत्री अजीतसिंह
10. मंजीत पुत्र अजीतसिंह
11. राजरति पत्नी अजीतसिंह
12. सागर विजयरन पुत्र अजीतसिंह निवासीयान निठारी दिल्ली।

:–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी बम्य हुक्मइम्तनाई दवामी
जेर दफा 53,188 राज0काश्त अधि0 1955

उपस्थितिः–वादीया की ओर से श्री असगर हुसैन वकील।
प्रतिवादीगण की ओर से श्री शौकत खान वकील।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

हमफीता वाद उनवान

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
307/24	28.11.2024	30.07.2025

1. ताहिर पुत्र हनीफ माता सुफेदी
2. जुबेर पुत्र हनीफ माता सुफेदी
3. इबरान पुत्र हनीफ माता सुफेदी
4. रसमीना पुत्री हनीफ माता सुफेदी जातियान मेवान निवासीयान ग्राम दीनार, तह0 लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0। :—वादीगण

बनाम

1. पूजा विजयरन पुत्री स्व0 श्री अजीत सिंह
2. पूनम पुत्री स्व0 श्री अजीत सिंह
3. मंजीत पुत्र स्व0 श्री अजीत सिंह
4. राजरति पत्नि स्व0 श्री अजीत सिंह
5. सागर विजयरन पुत्र स्व0 श्री अजीत सिंह जातियान जाट निवासीयान निठारी नई दिल्ली
6. असरफी पत्नि जुहरू, जाति मेव, निवासी दीनार, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

:—असल प्रतिवादीगण

7. रसमीना पत्नि श्री जुबेर, जाति मेव, निवासी दीनार, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील किशनगढबास अलवर।

:—लैण्ड होल्डर प्रति0

दावा तकासमा आराजी बम्य हुक्मइम्तनाई दवामी
जेर दफा 88,89,188 राज0काश्त अधि0 1955

उपस्थितिः—वादीगण की ओर से श्री शौकत खान वकील।
प्रतिवादीगण की ओर से श्री असगर हुसैन वकील।

निर्णय

दावा वादी निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः—

आराजी खसरा नं0 हाल 37 रकबा 0.28हे0, 38 रकबा 0.19हे0 किता 02 रकबा 0.47हे0 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल—तिजारा में स्थित है जो प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी।

विवादित आराजी खसरा नं 37 में वादी का 1/2 भाग व 38 में 5/16 हिस्सा है तथा शेष आराजी सहखातेदारान की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 मृतिका सुफेदी पत्नी हनीफ व तरतीबी प्रतिवादी सं0 8 लगायत 12 मृतक अजीतसिंह पुत्र सुबेसिंह के विधिक वारिसान है।

विवादित आराजी के वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 व 8 लगा0 12 विवादित आराजी का रिकार्डेड संयुक्त कब्जा काश्त खातेदार है जिस आराजी को मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल—तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

बाहमी तौर पर बंटवारा किया हुआ है अपने हिस्से की आराजी पर मिन वादी शांतिपूर्वक काबिज व दाखिल काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर मिन वादी का वास्तविक कब्जा है तथा फसल काश्त बाजरा की हुई है तथा सरकारी लगान संयुक्त रूप से अदा करते चले आ रहे है।

प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 आये दिन मिन वादीगण के शामलाती रिकार्डेड कब्जा काश्त मे मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहते है ऐसी सूरत में अब मिन वादीगण का प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 के साथ शामलात में काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करना संभव नही रहा है। इसलिए मिन वादीगण आराजी का तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराकर अलग से कुर्रेजात कायम करने व अलग से लगान खाता काश्म कराने व अलग से दखल प्राप्त करने के अधिकारी है जिसके लिए दावा तकासमा करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि हस्ब जैल दादरसी अता फरमाई जावेः–

अ– डिक्री तकसीम आराजी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 पारित की जाकर विवादित आराजी खसरा नं0 हाल 37 रकबा 0.28हे0, 38 रकबा 0.19हे0 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा का तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् किया जाकर अलग से कुर्रेजात कायम किये जाकर अलग से लगान खाता कायम किया जाकर वादी को अलग से दखल दिलाया जावे।

ब– जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी मुतनाजा से जब्रन वादी को बेदखल न करे ना ही कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना ही वादी की बोई हुई व कुदरती पैदावार को नष्ट भ्रष्ट करे, ना ही वादी को बेदखल करे, ना ही बिला तकासमा किये आराजी का कोई जुज किसी भी दीगर शख्श को रहन,बैय,हिबा,लीज इत्यादि से मुंतकिल करे राजस्व रिकार्ड व मौका की यथावत् स्थिति कायम रखे।

स– खर्चा हर्जा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

द– दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादी बख्शी जावे।

दावा वादीया प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 ने मय वकील उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 मृतका सुफेदी पत्नी हनीफ व तर0प्रतिवादी सं0 8 लगा0 12 मृतक अजीतसिंह पुत्र सुबेसिंह के वारिसान है। हम प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन है तथा विवादित आराजी का बहामी बंटवारा नहीं किया हुआ है तथा प्रतिवादीगण ने बंटवारे के लिए एक अन्य दावा भी दायर किया हुआ है। प्रतिवादीगण स्वयं ही आराजी का बंटवारा करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में दीगर को बेचान करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वादी हम प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा मय खर्चा खारिज किये जाने की कृपा करे। वकील पक्षकारान ने प्रारम्भिक डिक्री किये जाने प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार किशनगढबास से कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की गई।

वकील प्रतिवादीगण द्वारा एतराज कुर्रे कायमी पेश किया गया वकील पक्षकारान को एतराज पर सुना गया। वकील प्रार्थी के अनुसार कुर्रे रिपोर्ट मौके के विपरीत पेश की गई है। उपरोक्त रिपोर्ट हम प्रार्थीगण के बिना इक्तरफा बिना कोई नोटिस दिये हुए वादी से मिल्लत कर तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट पर किसी स्वतंत्र ग्वाह के हस्ताक्षर भी नहीं है। अतः निवेदन किया की प्रस्तुत उक्त कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर कोई फाईनल डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

पारित ना की जावे उक्त विवादित आराजी का कब्जा व हिस्सो अनुसार कुर्रे रिपोर्ट तैयार कर फाईनल डिक्री सादिर फरमाई जावे। वकील अप्रार्थी/वादी के अनुसार उक्त रिपोर्ट कब्जे के अनुसार ही तैयार की गई तथा प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को उक्त आराजी वादीगा द्वारा ही बेचान की गई है तथा उसी अनुसार कब्जा सौंपा गया है। अतः उक्त रिपोर्ट के अनुसार ही फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न हाल जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नं0 37 रकबा 0.28हे0 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबारा पक्षकारान का राहखातेदारान होना अंकित है तथा पक्षकारान द्वारा बहामी विभाजन एवं कब्जे अनुसार तकासमा किये जाने पर सहमति जाहिर की गई है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा एक अन्य दावा तकासमा भी पेश किया गया है जो उक्त वाद मे सहमति से हमफिता किया गया है। जिसका निस्तारण भी उक्त दावे के अनुसार ही किया जाना है। प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में नियमो मे उल्लेखित विधि अनुसार पक्षकारान में बंटवारा प्रस्तावित करते हुए विभाजित खसरा नम्बरो का नक्शा तैयार करते हुए पक्षकारान के हिस्सो अनुसार दर्शाया गया है तथा हिस्से अनुसार ही अलग अलग रास्तो को भी दर्शाया गया है। उपरोक्त प्रस्ताव पर पटवारी हल्का, भू0अ0 निरीक्षक एवं तहसीलदार किशनगढबारा के हस्ताक्षर भी अंकित है। तथा पक्षकारान को उक्त रिपोर्ट तैयार करने बाबत् नोटिस भी जारी किये गये है जिससे यह तथ्य तो साबित होता है कि तहसीलदार द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट/बंटवारानामा तैयार करते समय विधिक त्रूटि एवं कोई तात्विक अनियमितता कारित नहीं की गई है। अतः तहसीलदार किशनगढबास से प्राप्त कुर्रे कायमी रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव/कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगी–

क्र० सं०	नाम काश्तकार मय वल्दियत,जाति, निवास	ख०न०	रकबा (हे०में)
1.	असरफी पत्नि जुहरू कौम मेव सा0देह खातेदार	37 मिन 38 मिन किता 2	0.14 0.0594 कुल रकबा 0.1994हे0
2.	पूजा विजयरन, पूनम पुत्रीया व मंजीत, सागर विजयन पुत्र व राज रति पत्नि अजीतसिंह 1/2 हि0 कोम जाट सा0 निठारी, नई दिल्ली सुफेदी पत्नि हनीफ 1/2 हि0 कौम मेव सा0 दिनार तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर	37 मिन	0.14

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

3.	पूजा विजयरन, पूनम पुत्रीया व मंजीत, सागर विजयन पुत्र व राज रति पत्नि अजीतसिंह 4/11 हि0 कोम जाट सा0 निठारी, नई दिल्ली, सुफेदी पत्नि हनीफ 4/11 हि0, रसमीना पत्नि जुबेर खान 3/11 हि0 कौम मेव सा0 दिनार तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर	38 मिन	0.1306

उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा डिक्री का जुज रहेगा, पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner